राजस्व लोक अदालत 2015 कैम्प पचपदरा

न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी श्री उदयभानु चारण, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर 131/2013

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. मोहनलाल पुत्र विरदाराम जाति,हरिजन 2. जसराज पुत्र विरदाराम हरिजन 3. मदनलाल पुत्र विरदाराम हरिजन 4. समदादेवी पत्नि विरदाराम हरिजन निवासी पचपदरा		राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार,पचपदरा

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम 1956

निर्णय   दिनांक :– 13.05.2015

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत मे पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित । मजमे आम में दोनो पक्षकारान को सुना गया । हमने पत्रावली का अध्ययन किया प्रार्थीगण ने ग्राम पचपदरा के पुराने खसरा नं0 29,30,31,32 कुल रकबा 63 बीघा 10 बिस्वा भूमि उनके पूर्वाधिकारी का आवंटन होना जाहिर कर वर्तमान सेटलमेन्ट के समय यह भूमि उनके नाम दर्ज नहीं होना जाहिर किया है साथ ही यह भी व्यक्त किया है कि उपरोक्त भूमि का वर्तमान मे खसरा नंबरपुराने व नये नक्शा अनुसार 84 अंकित किया जाना प्रतीत होता है आवेदन पत्र मे यह भी उल्लेख है कि वर्तमान सेटलमेन्ट के समय बिना किसी आदेश अथवा डिक्री के प्रार्थीगण को आंवटित भूमि बारानी द्वितीय को किस्म परिवर्तन कर गैरमुमकिन गोचर अंकित कर दिया गया । प्रार्थीगण ने यद्यपि उनके पूर्वाधिकारी को भूमि आवंटन होने के प्रमाण मे नामान्तरकरण सं. 378 की प्रमाणित प्रतिलिपी तथा आदेश पुस्तक की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रस्तुत की है किन्तु उनके नाम जमाबन्दी मे दर्ज होने का कोई प्रमाण पेश नही हुआ है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रेकर्ड के अनुसार ही सम्वत 2026 से 2029 की प्रस्तुत जमाबन्दी की प्रमाणित अनुसार खसरा नंबर 29,30,31,32 की भूमि राजकीय भूमि दर्ज है। इसके अतिरिक्त खसरा बन्दोबस्त की प्रमाणित प्रतिये भी प्रार्थीगण ने प्रस्तुत की है ,जिसके अवलोकन पर भी पुराने खसरा नंबर 29,30,31,32 के नये नम्बर क्या बने है? यह स्पष्ट नही हो रहा है, प्रार्थीगण ने नये खसरा नंबर 84 बने होना व्यक्त किया है। किन्तु अभिलेख मे यह भूमि ग्राम पंचायत पचपदरा के खाते मे गैरमुमकिन गोचर दर्ज है। ग्राम पंचायत को प्रार्थीगण ने पक्षकार ही नही बनाया है। तथा 16 आरटीए के अनुसार किसी को गोचर भूमि मे खातेदारी अधिकार प्रोद्‌यत नही होते है । प्रार्थीगण अपने आवेदन पत्र के तथ्यो को साक्ष्य एवं प्रस्तुत सबूत के आधार पर साबित नही कर पाये है जिससे आवेदन पत्र स्वीकार योग्य नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार योग्य नही होने से निरस्त किया जाता है। आदेश लोक अदालत मे सुनाया गया ।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

13/5/15

(उदयभानु चारण)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत–2015

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

बालोतरा कैम्प

Scanned by CamScanner